65

संख्या- 1408    पत्रावली संख्या जी–42874    दिनांक 9/7/08

उत्तर प्रदेश सरकार

# सोसाइटी – रजिस्ट्रीकरण
# का
# प्रमाण – पत्र

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अधीन )

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश गोरखपुर

संख्या 565 / 2008–2009

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम चन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान

बेलपार पंडित तहसील भाटपाररानी जिला–देवरिया।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम , 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण–पत्र 03/07/2013 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 04/07/2008 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

04.7.08

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

सचिव
श्री रामचन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान
बेलपार पंडित, तहसील भाटपार रानी, जिला-देवरिया

# स्मृति–पत्र

1) संस्था का नाम : श्री रामचन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान

2) संस्था का पता : बेलपार पंडित भाटपाररानी, देवरिया

3) संस्था का कार्य क्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4) संस्था का उद्देश्य :

1. समाज के पिछड़े दलित व गरीब लोगों का कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक व बौद्धिक विकास के लिये प्रयास करना।
2. समाज के सभी वर्गों के लोगों में देश–प्रेम, एवं राष्ट्रीय भावना जागृत करने का कार्य करना।
3. महिलाओं का सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
4. नवयुवकों एवं शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं उनकी हर सम्भव सहायता करना जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके।
5. प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार का कार्य करना।
6. समाज के सभी वर्ग एवं धर्म के लोगों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी कार्यों के प्रचार प्रसार का काय्र करना एवं पिछड़े वर्ग व समाज के सभी धर्म के निर्बल लोगों को जीवन दायनी दवाओं के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था का कार्य करना।
7. किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक ढंग से कृषि के बारे में ज्ञानार्जन कराने एवं बीज, खाद कृषि यन्त्रों की जानकारी उपलब्ध कराना।
8. पर्यावरण सुधार एवं वायु तथा जल प्रदूषण रोकने हेतु समाज के सभी वर्ग के लोगों में जागृति पैदा करना।
9. ग्रामीण अंचलों में यातायात विकास हेतु श्रमदान प्रथा को प्रोत्साहित करना।
10. छात्र–छात्राओं के शैक्षिक विकास हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की संस्थापना करना तथा उनके पठन–पाठन की व्यवस्था शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर निर्बल, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास हेतु निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
11. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
12. घरेलू उद्योग–धन्धों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु महिलाओं एवं समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें।
13. सरकार द्वारा हरिजनों, अल्प संख्यकों पिछड़े वर्ग के लोगों एवं महिलाओं की उन्नति के लिये चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
14. देश के निर्बल, असहाय, विधवाओं, अपंगों हेतु अनाथालय खोलना संचालित करना तथा सरकार से सहायता दिलाने का कार्य करना।
15. हस्त शिल्प में लोगों को प्रशिक्षण देना, कारीगरों के स्वसहाय तथा इस क्षेत्र के कारीगरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक स्थिति मे सुधार लाने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन का कार्य करना।

सचिव
श्री रामचन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान
बेलपार पंडित, तहसील भाटपार रानी, जिला-देवरिया

को जानकारी कराने हेतु गोष्ठियों, सेमिनारों आदि का आयोजन करना तथा ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करके इलाज हेतु उचित परामर्श एवं सहयोग देने का हर संभव प्रयास करना।

17. वन्य प्राणियों, जीव जन्तुओं एवं आवारा पशुओं हेतु सेल्टर हाऊस का निर्माण करना दवाओं की व्यवस्था तथ कुपोषण से बचाव करना एवं विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण का कार्य करना।

18. मद्यपान, मादक तथा नशीली दवाओं के सेवन करने वाले लोगों को इन पदार्थों से मुक्ति दिलाने हेतु जन जागरण का कार्य करना।

19. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, डवाकर, सिफसा, सेफ इण्डिया, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, विभिन्न मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार व संचालन करना।

20. समाज के मूक बधिर नेत्रहीन व शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे, कार्यक्रमों से उन्हे अवगत कराना तथा उनके सर्वांगीण विकार हेतु कार्य करना।

21. समाज से अपमानित व निराश्रित व्यक्तियों हेतु अनाथाश्रम का निर्माण करना व उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

22. आई0एस0एम0 एण्ड एच0 योजना तथा डी0पी0इ0पी0 शिक्षा परियोजना विकलांग एवं मानसिक विकलांग बच्चों हेतु संचालित करना।

23. ग्रामीण निवासियों मजदूरों, कारीगरों, किसानों एवं हस्त शिल्पकारों को ग्रामोद्योग सम्बन्धी जानकारी दिलाना तथा ग्रामोंद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की भावना का विकास करना।

24. सांस्कृतिक कार्य की विभिन्न विद्याओं एवं संगीत तथा संस्कृति विद्यालयों की स्थापना करना।

25. जनसाधारण हेतु व्यायाम शालाओं एवं महिलाओं हेतु ब्यूटीपॉर्लरों की स्थापना करना तथा महिलाओं को रोजगार हेतु ब्यूटीशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

26. प्रजनन एवं बाल्य विकास स्वास्थ्य (आर0सी0एच0) एवं एड्स निवारण जागरूकता का कार्य करना तथा सम्बन्धी जानकारी व परिवार नियोजन सम्बन्ध जानकारी तथा प्रचार प्रसार एवं रोगों के रोकथाम हेतु चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

27. जडी–बूटी पौधों की पौधशाला एवं मशरूम की खेती का विकास करना। पर्यावरण जागरूकता शिक्षा योजना का संचालन करना।

28. सामाजिक कुरीतियॉ जैसे बाल–विवाह, दहेज–प्रथा, नशा, छुआछूत, असमानता, भ्रष्टाचार आदि के उन्मूलन हेतु प्रयास करना।

29. महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, कटाई, शिल्पकला, कम्प्यूटर, शार्ट हैण्ड, हस्तकला, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

आशुतोष कुमार उपाध्याय
सचिव
श्री रामचन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान
बेलपार पंडित, तहसील भाटपार रानी, जिला-देवरिया

5) प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम,पता,पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:–

आशुतोष कुमार उपाध्याय
रमा उपाध्याय

| क्र0सं0 | नाम | पिता का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री उपेन्द्र उपाध्याय | स्व0 रामचन्द्र उपाध्याय | ग्राम—जसुई पो0 तहसील—भाटपाररानी जिला—देवरिया | अध्यक्ष | कृषि |
| 2. | श्री जीतेन्द्र उपाध्याय | स्व0रामचन्द्र उपाध्याय | ग्रा0बेलपारपंडित | उपाध्यक्ष | समाजसेवा |
| 3. | श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय | श्री कामेश्वर उपाध्याय | ग्रा0—जसुई भाटरपाररानी जिला—देवरिया | सचिव/प्रबंधक ~~/कोषाध्यक्ष~~ | समाजसेवा |
| 4. | श्रीमती शुभ्रा | पत्नी डा0 पंकज उपाध्याय | ग्रा0—जसुई भाटपाररानी जिला—देवरिया | उपसचिव /उपप्रबंधक | गृहणी |
| 5. | अभिषेक कुमार उपाध्याय | कामेश्वर उपाध्याय | ग्रा0—जसुई भाटपाररानी जिला—देवरिया | कोषाध्यक्ष | |
| 6. | श्री बिहारीलाल दूबे | रामप्रसाद दूबे | ग्राम—जगौर भाटपाररानी जिला—देवरिया | सदस्य | |
| 7. | श्री श्रीप्रकाश चतुर्वेदी | स्व0 उमापति चतुर्वेदी | ग्रा0 मधवापुर पो0 पिपरा रोड | सदस्य | |
| 8. | श्री मु0 इर्तजा सिद्धीकी | स्व0मु0 मुर्तजा सिद्धीकी | तहसील रोड देवरिया | सदस्य | |
| 9. | श्रीमती निशा उपाध्याय | पत्नी आशुतोष कुमार उपाध्याय | ग्राम—जसुई भाटपाररानी देवरिया | सदस्य | |

6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्तागण घोषित करते हैं कि हम इस स्मृति—पत्र एवं संलग्न संस्था की नियमावली के अनुसार एक समिति का गठन किया है। जिसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं

दिनांकः—21.6.2008

हस्ताक्षरकर्त्ताः— उपेन्द्र कुमार उपाध्याय

आशुतोष कुमार उपाध्याय
सचिव
श्री रामचन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान
बेलपार पंडित, तहसील भाटपार रानी, जिला-देवरिया

आशुतोष कुमार उपाध्याय
शुभ्रा उपाध्याय
Abhishek
बिहारी लाल दूबे

मु0 इर्तजा सिद्दीकी

निशा उपाध्याय

उपेन्द्र कुमार उपाध्याय

आशुतोष कुमार उपाध्याय

1. संस्था की प्रगति के लिये हर संभव प्रयास करना।
2. संस्था की ओर से कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन करना।
3. संस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करना।
4. संस्था के उद्देश्यों को हर संभव आगें बढ़ाने के लिये प्रयास करना।
5. पिछली कार्यवाही बैठक में पढ़कर सुनाना।
6. सदस्यों के नाम एवं कार्यवाही सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।
7. संस्था में वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का कार्य करना।
8. बिल बाउचरों, आहरण–पत्रों, संविदा–पत्रों, ऋण–पत्रों इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।
9. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
10. संस्था के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करना तथा चन्दा व अन्य सहायता प्राप्त करना।
11. सदस्यों की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।
12. पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी संस्था की ओर से करना।
13. समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।
14. समिति के कार्यों एवं शाखाओं का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं वार्षिक अधिवेशन में उसका कार्य विवरण उपस्थित करना। समिति के कार्यों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना।
15. संस्था का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर पालन सुनिश्चित कराना।
16. संस्था की ओर से केन्द्रीय / राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधितव करना एवं समन्वय स्थापित करना।

उपसचिव / उपप्रबन्धकः–

1. सचिव / प्रबन्धक के अनुपस्थिति में उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का प्रयोग करना।
2. सचिव / प्रबन्धक के लिखित निर्देश पर निर्देशानुसार उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का अनुपालन करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

कोषाध्यक्षः–

1. संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
2. संस्था के प्रतिवर्ष का आडिट कराना।
3. सचिव / प्रबन्धक से धन प्राप्त कर यथाविधि रोकड़ बही में अंकित कर पोस्ट आफिस या बैंक में जमा करना।
4. सचिव / प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का नियमानुसार भुगतान करना।

आशुतोष कुमार उपाध्याय
सचिव
श्री रामचन्द्र शिक्षा सेवा संस्थान
[illegible], जिला-देवरिया

11) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः–

[illegible] आशुतोष कुमार उपाध्याय
[illegible] [illegible] उपाध्याय

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

12) संस्था का कोष :--

संस्था का समस्त कोष स्थानिय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन सचिव/प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13) संस्था के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण (आडिट):–

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14) संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः–

संस्था के द्वारा होने वाले पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी सचिव/प्रबन्धक या प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

15) संस्था के अभिलेखः–

(अ) सदस्यता रजिस्टर।
(ब) कार्यवाही रजिस्टर।
(स) स्टाक रजिस्टर।
(द) लेजर बुक।
(य) कैश बुक।

16) संस्था के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांकः– 29.6.2008 सत्य प्रतिलिपि

आशुतोष उपाध्याय
सचिव
... शिक्षा सेवा संस्थान
... रानी, जिला-देवरिया

आशुतोष कुमार उपाध्याय